

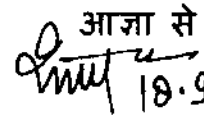
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 13) /2020

दिनांक : 19.09.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./102/2020 दिनांक 29.07.2020 के द्वारा श्रीमती चारण आशा (RJ0958), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा को दिनांक 27.07.2020 से 14.08.2020 तक 19 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 25.07.2020 से 26.07.2020 एवं 15.08.2020 से 16.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 27.07.2020 से 29.07.2020 तक 03 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से
 18.9.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/124/2015/ 4043

दिनांक : 19.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक 5639 दिनांक 18.08.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती चारण आशा (RJ0958), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा ।
5. श्री विकास जैन (RJ1168), अति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा ।
6. अति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार